

## संपादकीय

### कक्षा और भारतीय कृषि

कृषि शिक्षा की दयनीय स्थिति है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिनियम का पुनरुत्थान करना अतिआवश्यक है।

यद्यपि भारतीय कृषि पर आर्थिक रूप से निर्भर रहना अथवा इसे लाभकारी बनाना एक दूर का सपना है, भारत को आजाद हुए 71 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दरिद्र और लाचार किसान हजारों की संख्या में आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। इसका कारण दशकों की अदूरदर्शिता है, क्योंकि अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक अभी भी किसानों को केवल अनाज के लिए ही आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहे हैं।

किंतु हम इस अवसर पर केवल किसानों के संकट और उनकी निराशा के प्रमुख मुद्दे पर वार्तालाप करेंगे। हमें भी स्तर पर दूरुस्त करनी होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिनियम का प्रमुख कार्य कृषि शिक्षा, अनुसंधान और कृषि विस्तार है। निःसंदेह इसने अनाज की कमी के चुनौती पूर्ण वर्षों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। किंतु सच यह है कि इस सफलता के लिए हमने पर्यावरण की खराबी की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, और अभी तक उसका परिणाम भुगत रहे हैं। केवल हरित क्रांति और कुछ क्षेत्रों में सफलता ही इस स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिनियम अब अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं रह गया है। अब इसे किसी भी प्रकार से महत्ता नहीं दी जा सकती। इस परिनियम को एक स्वायत निकाय होना चाहिए था, किंतु यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक विस्तार के रूप में ही रह गया है। इस परिनियम को वास्तव में एक ऐसी स्वायत निकाय बना देना चाहिए, जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करे, जैसा अटौमिक एनर्जी कमीशन के मामले में लागू है। इस परिनियम का कार्य कृषि अनुसंधान, शिक्षा तक सीमित होना चाहिए और भारतीय कृषि अनुसंधान परिनियम के अतिरिक्त अन्य कृषि संस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया जाए। कृषि विस्तार के कार्यों को पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौंप देना चाहिए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिनियम का इतिहास यह रहा है कि इसने फसलों के विज्ञान पर अधिक जोर दिया है और इसकी कीमत पशु पालन उद्योग को चुकानी पड़ी है, जिसको अभी भी महत्व नहीं दिया जा रहा। सामाजिक, आर्थिक परिणामों और किसानों की समृद्धि पर बिना ध्यान दिए अनुसंधान का कार्य करना कोई उपलब्धि नहीं दे पाएगा। भारत में उगाई जाने वाली फसलों जैसे चावल और गेहूं का मुकाबला अच्छे देशों से किया जाता है, किंतु वर्षा आधारित कृषि, दालों, तिलहनों, फल एवं सब्जियों पर अनुसंधान का कार्य बहुत पिछे चल रहा है। उपभोगता की बदलती हुई आदतों, उनकी पसंद जैसे की अनाज से कुछ और खाद्य पदार्थों पर बल देना, पर्यावरण का

प्रभाव और कृनि की बदलती हुई जलवायु के लिए लोगों की विद्यमान आवश्यकताओं और उनकी पसंद पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मंडियों के बारे में सूचना देना और मौसम का पूर्व अनुमान जैसी क्षमता का निर्माण अभी भी संतोषजनक नहीं है।

कृनि शिक्षा की विकृत स्थिति निंदनीय है। कुछ राज्य कृनि विश्वविद्यालय तो फैशन डिजाइन के कोर्स तक करवा रहे हैं। इससे भी चिंताजनक यह विषय है कि देश भर में 1,000 से अधिक गैर सरकारी निजी कृनि कॉलेज हैं जो गली के खोमचे वालों की तरह डिग्रियां बांट रहे हैं। कई कॉलेजों में न तो प्रयोगशाला है, न ही मूलभूत सुविधाएँ हैं अथवा कृनि अनुसंधान संबंधी भूमि है। कृनि एक राज्य का विषय होने के कारण इस पर भारतीय कृनि अनुसंधान परिदृश्य और केन्द्रीय सरकार का कोई भी आदेश लागू नहीं होता जिस कारण प्रत्येक राज्य में नीजी व्यापारी और संस्थाएँ अपना हित साध रही हैं। उनके फलने फूलने का सबसे बड़ा कारण है कि राज्यों में इस संबंध में कोई नियम या कानून नहीं बनाए गए हैं। पंजाब सरकार ने एक कानूनी अधिनियम अधिसूचित किया है, ऐसा ही अधिनियम अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए।

भारतीय कृनि अनुसंधान परिदृश्य के तीन प्रमुख कार्यों में से तकनीकी अंतरण अथवा कृनि विस्तार के कार्य राज्यों के साथ मिलकर किए जाते हैं, किंतु इन दोनों में ही सफलता नगण्य है। जबसे भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है तबसे ही कृनि क्षेत्र में संतुष्ट होने के बाद कृनि विस्तार के कार्य रूप से गए हैं। राज्य सरकारों के जनहित विस्तार के सिस्टम को छोड़ देने के बाद नीजी दुकानदार और व्यापारीयों ने कृनि सलाहकारों पर कब्जा कर लिया है, जिस कारण भारतीय किसान, आम जनता और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।

भारतीय कृनि अनुसंधान परिदृश्य और राज्य सरकारों मिलकर कृनिकियों का उपयोग करती हैं और राज्य कृनि विश्वविद्यालयों के कार्यों को संचालित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराती हैं। भारतीय कृनि अनुसंधान परिदृश्य द्वारा लगभग 700 कृनि विज्ञान केन्द्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है और उन्हें क्षमता निर्माण, तकनीकी सुधार एवं इन्हें किसानों तक पहुंचाने का कार्य सौंपा गया है, किंतु न तो इनमें अपेक्षित कर्मचारी हैं और न ही उपकरण।

व्यवहारिक रूप में राज्य सरकारों अपने राज्य के कृनि विश्वविद्यालयों को बहुत कम पैसा दे पाती हैं। इस कारण यह विश्वविद्यालय ऐसे अनुसंधान करने पर बल देते हैं, जिनमें उन्हें कुछ लाभ मिल सके, चाहे उनके राज्य की आवश्यकता कुछ और ही हो। उदाहरण के लिए कोई राज्य खरीफ मौसम में धान से अलग कोई फसल उगाना चाहता है, जबकि वहां के विश्वविद्यालय रबी मौसम की फसलों पर अनुसंधान कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं।

भारतीय कृनि अनुसंधान परिद्वारा और राज्य ऐजेंसियों का समन्वय असफल सिद्ध हो चुका है। इसलिए यदि प्रधानमंत्री कार्यालय कृनि अनुसंधान और शिक्षा की जिम्मेवारी स्वीकार करे तो राज्यों के कृनि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों का वेतन केन्द्र सरकार द्वारा जारी किया जाएगा और कृनि विज्ञान केन्द्र राज्यों को सौंपे जा सकते हैं। ऐसा करने से राज्यों को राजस्व खर्च नहीं करना पड़ेगा और ये विज्ञान केन्द्र भी कृनि विस्तार और कृनि उन्नति पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करेंगे।

भारतीय कृनि अनुसंधान परिद्वारा अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती, क्योंकि इनमें भर्तियों में गडबड़ी की जाती है, अंतःप्रजनन और भाई भतीजा वाद का बौलबाला है। सरकारी पद्धोनति नियमों पर आधारित वेतन दिया जाता है और इसके बाद भी अनुसंधान का परिणाम संतोषजनक नहीं है और प्रतिभा को नकारा जाता है। खेतों में काम करने वालों में से अधिकतम महिलाएँ हैं, किंतु महिलाओं की भर्ती समान अनुपात में नहीं की जाती। 71 कृनि विश्वविद्यालयों और देश भर में 101 अन्य संस्थाओं में आपसी विभागिय समन्वय की कमी है, जिसे तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। इसका एकमात्र उपाय कुल संस्थाओं की संख्या को कम करके एक-तिहाई कर दिया जाए। इससे भी अधिक बदलतर स्थिति यह है कि भारतीय कृनि अनुसंधान परिद्वारा के अनुसंधान को निजी कंपनियों द्वारा चुरा लिया जाता है या खरीद लिया जाता है। अतः आई.पी.आर. रजिस्ट्रेशन और आंतरिक संसाधन उत्पन्न करने जैसे कार्य जो विकसित देशों के विश्वविद्यालयों में होते हैं, वैसी भारत के कृनि संस्थाओं में असंभव प्रतीत होते हैं।

निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ती के लिए न केवल कठोरता से कार्य करना होगा, बल्कि कृनि अनुसंधान एवम् विकास कार्यों के बजट आबंटन को न्यूनतम सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत करना होगा, जो इस समय 1 प्रतिशत से भी कम है। किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस संकट का स्थाई समाधान करने के लिए एक ऐसी मापक पद्धति अपनानी होगी जो इन कृनि संस्थाओं के परिणामों की जांच कर सके और उनकी जिम्मेवारी तय भी कर सके। दुर्भाग्यश, जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय किए जाते हैं तो नीति निर्माताओं के सैद्धांतिक ज्ञान को उन वास्तविक व्यवसायिकों के अनुभव से अधिक महत्व दिया जाता है, जिस कारण देश का कृनि संकट अनिश्चित काल तक बढ़ता जा रहा है।

‘द इंडिया पॉलिसी फोरम 2016-17’ में प्रोफेसर देवेश कपूर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसेलवेनिया और श्री गोमिक्रो चेटर्जी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज ‘भारतीय कृषि की 6 दुविधाएँ’ से लिए गए कुछ रोचक तथ्य।

### उच्च शिक्षा के संबंध में कुछ तथ्य: पशु-चिकित्सक

- भारत में पशुओं की संख्या: लगभग 300 मिलियन
- अन्य कृषि पशुओं की संख्या: लगभग 500 मिलियन
- मुर्गी पालकों की संख्या: लगभग 700 मिलियन

### वर्ष 2014 में

- पशु चिकित्सा कॉलेज: 55
- स्नातक पाठ्यक्रम सीटें: 3,300
- पशु चिकित्सा कॉलेज से वार्षिक स्नातकों की संख्या: लगभग 2,100
- प्रति कृषि पशु के आधार पर स्नातक पशु चिकित्सा कॉलेज की संख्या: लगभग 10 लाख पर 1
- प्रत्येक वर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या: 10 लाख से अधिक

भारत में बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग के स्नातक हैं (10 लाख से अधिक) किंतु बहुत कम पशु चिकित्सक (2,500 से भी कम)। भारत में हमें अपनी प्रमुखताओं में सुधार करना होगा और इस देश का संपूर्ण रूप से विकास और उन्नति करने के उपाय तलाशने होंगे।

भारतीय किसान कृषि तकनीकी परामर्श किनसे प्राप्त करें ?

कोई परामर्श 41

विस्तार 6

कृषि विज्ञान केन्द्र 3

कृषि विश्वविद्यालय 1

पशु चिकित्सा विभाग 8

प्राइवेट कमर्शियल एजेंट 8

प्रगतिशील किसान 21

मीडिया (रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र) 21